



पूर्व मध्य रेलवे

मंत्रालय (कार्मिक) कार्यालय
धनबाद - 826001

सं.ई / रूलिंग / रि-इंगेजमेंट / गतिशक्ति / 2023

दिनांक : 02 / 05 / 2023

अधिसूचना

विषय : धनबाद मंडल/पूर्व मध्य रेलवे में सेवानिवृत्त पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों (Supervisory Staffs) के पुर्ननियोजन संबंध में।

धनबाद मंडल/पूर्व मध्य रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के लिए दिनांक 30.04.2023 या उससे पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुर्ननियोजन हेतु निम्नलिखित श्रेणी/ट्रेड में जिससे वे सेवानिवृत्त हैं, से विहित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

विभाग/पद	इंजीनियरींग	संकेत एवं दूरसंचार	विद्युत	लेखा
SSE/Works	3	-	-	-
SSE/P. Way	1	-	-	-
SSE/Signal	-	2	-	-
SSE/TRD	-	-	2	-
JE/SSE (D & D)	1	-	-	-
SSE/D & D	-	1	1	-
OS/Tender	1	1	-	-
SSO/A	-	-	-	1

पात्रता एवं शर्तें

01. धनबाद मंडल/पूर्व मध्य रेल से सेवानिवृत्त पर्यवेक्षकीय कर्मचारी आवेदन के पात्र हैं।
02. वैसे कर्मचारी, जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हों, संबंधित पद के लिए आवेदन हेतु पात्र हैं।
03. वैसे कर्मचारी, जो रेल सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त, निष्कासित या बर्खास्त अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त तथा योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन के पात्र नहीं हैं।
04. रेल सेवा में पुर्ननियोजन एक वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक या रेलवे भर्ती बोर्ड से अभ्यर्थियों की नियमित उपलब्धता या अन्य किसी स्रोतों से प्राप्त पैनल या रेलवे बोर्ड द्वारा दिशा-निर्देशा या इनमें जो पहले हो, लागू होगा।
05. पुर्ननियोजित कर्मचारी की सेवा के दौरान उनके कार्य/आचरण किसी भी कारण से असंतोषजनक पाया जाता है तो उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।
06. पुर्ननियोजन संबंधित पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाये जान के अधीन होगा।
07. पुर्ननियोजित कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष 08 दिन का अवकाश स्वीकार्य होगा।
08. पुर्ननियोजित किए गए कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, उसके अंतिम आहरित वेतन (Last Basic Pay + DA) से पेंशन राशि घटाकर की जाएगी एवं अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
09. पुर्ननियोजन हेतु आवेदकों की उपयुक्तता एवं सक्षमता का निर्धारण विधिवत गठित समिति द्वारा की जाएगी तथा उनके संरक्षा रिकार्ड एवं अन्य आवश्यक परिचालनिक आवश्यकताओं पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जाएगा।
10. चयनित कर्मचारियों की पदस्थापना गति शक्ति इकाई/धनबाद के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

11. चयनित कर्मचारियों को परिणाम प्रकाशित होने के 10 दिनों के अंदर योगदान करना अनिवार्य होगा, इसमें असफल होने पर उनका चयन निरस्त माना जाएगा।
12. पुर्ननियोजित कर्मचारी का सामान्य कार्य के घंटे वही होंगे जो सामान्य प्रकार से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू है।
13. प्रशासनिक आवश्यकतानुसार पुर्ननियोजित कर्मचारियों को प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भेजा जा सकता है।
14. आवेदन के साथ स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ अनिवार्य रूप से सलग्न करना सुनिश्चित किया जाए:
क) सेवा प्रमाण पत्र
ख) पेंशन पहचान पत्र
ग) पेंशन भुगतान आदेश
घ) अंतिम वेतन पर्ची
ङ) बैंक पासबुक की छायाप्रति
च) दो नवीनतम पासपोर्ट फोटा
छ) आधार/पैन कार्ड की छायाप्रति
ज) शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति
15. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.05.2023 तक होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. अधिसूचना धनबाद मंडल के वेबसाईट “www.ecr.indianrailway.gov.in>Division>Dhanbad>Personnel” पर भी उपलब्ध है।
18. पुर्ननियोजन पूर्णता अस्थायी है। रेलवे प्रशासन किसी भी समय पुर्ननियोजित कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने/रिवित्त परिवर्तित करने हेतु स्वतंत्र है।

यह सूचित किया जाता है कि पुर्ननियोजन हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में सुविधा केन्द्र, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पूर्व मध्य रेल, धनबाद— 826001 अथवा email-id egrsdhanbad@gmail.com पर दिनांक 31.05.2022 को 18.00 बजे तक अवश्य रूप से भेजें। लिफाफे पर “पुर्ननियोजन हेतु — पद के लिए आवेदन पत्र” अवश्य अंकित करें।

संलग्न/आवेदन प्रोफार्मा.

RAVI KUMAR
PANDIT

Digitally signed by RAVI KUMAR
PANDIT
Date: 2023.05.02 18:45:40 +05'30'

(रवि कुमार पंडित)
सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक/धनबाद

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

- महाप्रबंधक (कार्मिक), पूमरे, हाजीपुर
- मुख्य कार्याधी/मंरेप्र को मंडल रेल प्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ
- अमंरेप्र/इन्फ्रा एवं परिचालन, पूमरे, धनबाद
- वमंविप्र, पूमरे, धनबाद
- सूचना बोर्ड कार्यालय में एवं मुकार्याधी/सुविधा केन्द्र, धनबाद
- कार्यालय अधीक्षक/आईटी सेल — कृपया अधिसूचना को वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू एवं अजा-अजजा एसोसिएशन, पूर्व मध्य रेल, धनबाद

पूर्व मध्य रेल

पूर्व मध्य रेल धनबाद में गति शक्ति इकाई हेतु सेवा निवृत्त पर्यवेक्षक कमचारियों के पुनः नियोजन हेतु आवेदन
(अधिसूचना सं० ई०/रूलिंग/रि-इंग्रेजमेंट/गतिशक्ति/23 धनबाद दिनांक 02.05.2023)

सेवा में,

वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय

पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद

पिन कोड - 826001

मैं पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल इकाई में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक पर पुनःनियोजन करता/करती हूँ। मेरा/मेरी सेवा विवरण निम्नवत है -

1. नाम -
2. पिता/पति का नाम -
3. सेवानिवृत्त के समय धारित पद -
4. किस मंडल/विभाग/यूनिट से सेवानिवृत्त हुए -
5. जन्म तिथि -
6. नियुक्ति तिथि -
7. सेवा निवृत्ति तिथि -
8. शैक्षणिक योग्यता -
9. पे०-बैंड/ग्रेड-पे०/पे०-लेबल (सेवानिवृत्ति के समय) -
10. आवेदित कोटि/पद पर की गई सेवा अवधि -
11. यदि समान्य सेवा निवृत्ति के अलावे किसी अन्य प्रकार से सेवा निवृत्त हुए हैं तो उसका उल्लेख करें -
12. पत्राचार का पता (पिन एवं मोबाईल नं. सहित)
13. अंतिम अहारित मूल वेतन/वेतन बैंड/ग्रेड-पे०/पे०-लेवल -
14. मेडिकल कैटेगरी
15. पीपीओ नम्बर -

नवीनतम पासपोर्ट फोटो
चिपकाए

संलग्न दस्तावेज -

- (क) सेवा प्रमाण-पत्र/पेंशनर पहचान पत्र
- (ख) पेंशन भुगतान आदेश
- (ग) अंतिम वेतन पर्ची
- (घ) बैंक पास बुक की छायाप्रति
- (ङ) आधार एवं पेन कार्ड की छायाप्रति
- (च) शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति
- (छ) नवीनतम दो पासपोर्ट साईज फोटो

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जनकारी एवं विश्वास में सही है। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कारवाई के लिए उत्तदायी हूँ। मैं एतद् घोषणा करता/करती हूँ कि अधिसूचना में दिये गये नियमों एवं शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा।

दिनांक -

स्थान -

कार्यालय का पता -

सेवा निवृत्त कर्मचारी का हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम -